न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 69/2007 (225 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2007/00110

उनवानी :–

1– राजेन्द्र सिंह पुत्र भीका जाति ठाकुर निवासी सीही तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलांट––––––––

बनाम

1– फौरन पुत्र पदमा जाति जाट निवासी सीही तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

2– ग्राम पंचायत आजऊ जरिये सरपंच आजऊ तहसील भरतपुर।

रेस्पो0––––––

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 22.06.2007 मु0न0 102/2007 उनवानी राजेन्द्र बनाम फौरन सिंह।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर एड0

निर्णय दिनांक 05.02.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा न0 1226 रकवा 37 वाके ग्राम सीही तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बावत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

एक पक्षीय बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पा खारिज किया है कि स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है और उसनें धारा 91 भू0रा0अ0 की कार्यवाही को छुपाया है। मूलवाद में अपीलार्थी नें अपने खातेदारी के रकवे बावत स्थायी निषेधाज्ञा चाही है जिसका धारा 91 की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है अतः अपीलार्थी के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

बहस अपीलार्थी एवं रिकोर्ड से स्पष्ट है कि मामला रास्ते से संम्बधित है जिस पर धारा 91 की कार्यवाही लंबित है। अपीलार्थी का मामला उक्त कार्यवाही एवं मूलवाद में साक्ष्य सबूत के उपरान्त ही तय हो सकता है। मूलवाद अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक

समय से लम्बित है और स्थगन जारी रखने से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विपरीत रुप से प्रभावित होने की आशंका है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी न करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)
पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/2012 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2012/00056

उनवानी :–

1– सुजान कौर उर्फ ढक्को पुत्री श्री सुगडसिंह जाति जाट निवासी बसैया जाट तहसील नदबई जिला भरतपुर।

अपीलांट––––––––

बनाम

1– नरेन्द्र उर्फ नंदराम दत्तक पुत्र सुगडसिंह जाति जाट साकिन बसैया जाट तहसील नदबई जिला . भरतपुर।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसील नदबई जिला भरतपुर।

रेस्पो0––––––––

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई दिनांक 15.10.2012 मु0न0 44/2012 उनवानी नरेन्द्र बनाम सुजान कौर।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री सुगड़ सिंह एड़0

2– वकील रैस्पो0 श्री लोकेन्द्र नाथ एड़0

यह अपील .....01.....माह.....02.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री– वकील अपीलांट श्री सुगड़ सिंह एड़0 एवं वकील रैस्पो0 श्री लोकेन्द्र नाथ एड़0.....समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि. अपील अपीलार्थी सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये.....

.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....01.....माह**.....02**.....सन्.....**2018**.....

...को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		

मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।